न्यायालय जिला न्यायाधीश, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा
स्थानान्तरण प्रार्थना संख्या 167 सन् 2026

UPSP010056442026

1- शुभम कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी म०नं० 990 मौहल्ला छिम्पीवाड़ा कस्बा, परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

2- दुष्यन्त सिंह राणा पुत्र यशपाल निवासी ग्राम छोटा परिवार गुरूकुल कांगड़ी जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

3- इशत्याक अहमद पुत्र नफीस अहमद निवासी ग्राम राजूपुर परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

4- श्रीमति शालु पत्नी योगेन्द्र सिंह निवासी म0नं0 148163 बिनौली रोड़ गली नं० 1 सूर्य नगर बड़ौत जिला बागपत।

5- मौ० नईम पुत्र तालिंब निवासी ग्राम मुस्तफाबाद जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

6- नूर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी मौहल्ला पठानपुरा कस्बा, परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

.... आवेदकगण।

बनाम

1- मुखत्यार अहमद उर्फ बाबू जाति गाड़ा पुत्र शमसुल इस्लाम।

2- मौ० अहमद पुत्र मुखत्यार अहमद उर्फ बाबू

3- शेर मौहम्मद मुखत्यार अहमद उर्फ बाबू

प्रत्येक निवासीगण मौहल्ला बडजियाउलहक कस्बा, परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

.... विपक्षीगण।

10.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क को सुना गया।

<u>निस्तारण स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र</u>

आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र कागज सं0-4ग अन्तर्गत धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि न-2026 शुभम कुमार आदि बनाम मुखत्यार आदि न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन, देवबन्द, सहारनपुर के समक्ष वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

योजित किया है, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा 6 ग 2 प्रार्थना पत्र भी वास्ते अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें माननीय विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग 2 के अन्तिम निस्तारण तक स्टे आदेश पारित किया हुआ है। विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एफ.ए. एफ.ओ. संख्या-441 सन-2026 मुखत्यार अहमद आदि बनाम शुभम कुमार आदि योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांकित 03-04-2026 के द्वारा माननीय विचारण न्यायालय को दिनांक 30-04-2026 तक प्रार्थना पत्र 6 ग 2 का निस्तारण करने हेतु आदेश पारित किया गया था, परन्तु न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन देवबन्द, सहारनपुर 06 माह के लिये मैटरनिटी लीव पर है और मामला अर्जेन्सी का है, इसलिये न्यायहित में आवश्यक है कि न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन, सहारनपुर में लम्बित वाद संख्या-08 सन-2026 शुभम कुमार आदि बनाम मुखत्यार आदि की पत्रावली को देवबन्द न्यायालय से स्थानान्तरित कर सिविल कोर्ट, सहारनपुर में किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश पारित किये जावे। तद्नुसार, आवेदकगण द्वारा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन, देवबन्द सहारनपुर में लम्बित वाद संख्या-08 सन-2026 शुभम कुमार आदि बनाम मुखत्यार आदि की पत्रावली को देवबन्द न्यायालय से स्थानान्तरित कर सिविल कोर्ट, सहारनपुर में किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदकगण के प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण की ओर से आपत्ति कागज सं० 12 ग दाखिल करते हुए कथन किया है कि न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिविजन देवबन्द का न्यायालय रिक्त नही है, बल्कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर है और इस कारण कोई युक्ति युक्त आधार प्रार्थना पत्र में नही है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में संबंधित न्यायालय के प्रभारी अधिकारी से आख्या तलब की गयी।

प्रभारी अधिकारी न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) सहारनपुर की आख्या कागज सं० 8 ग के अनुसार वाद संख्या-08 सन-2026 शुभम कुमार आदि बनाम मुखत्यार आदि की पत्रावली वर्तमान में उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में इस न्यायालय की पीठासीन अधिकारी महोदया दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 27.10.2026 तक प्रसूती अवकाश पर है। यह पत्रावली एक्शन प्लान से सम्बन्धित नहीं है। उपरोक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के माध्यम से वाद संख्या-08 सन-2026 शुभम कुमार आदि बनाम मुखत्यार आदि की पत्रावली को अन्तरित किये जाने हेतु यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन देवबन्द, सहारनपुर 06 माह के लिये मैटरनिटी लीव पर है और प्रार्थऩा पत्र 6 ग 2 का शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रभारी अधिकारी अपर सिविल जज (सी.डि.), सहारनपुर के पीठासीन अधिकारी की आख्या कागज सं0-8 ग के अनुसार उपरोक्त वर्णित वाद वर्तमान में उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी महोदया दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 27.10.2026 तक प्रसूती अवकाश पर है। पत्रावली एक्शन प्लान के अन्तर्गत नहीं है। पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वाद संख्या-08 सन-2026 शुभम कुमार आदि बनाम मुखत्यार आदि की पत्रावली को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन, देवबन्द सहारनपुर से वापस लेकर विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/चतुर्थ, सहारनपुर में अन्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित न्यायालय सूचित हों ।

(सतेन्द्र कुमार)

जिला न्यायाधीश,

दिनांक- 10.07.2026

सहारनपुर।

J.O. Code-UP 1891